न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 366/17

तारीख रजू– 03/11/2017

1– गंगाराम पुत्र सूरज्या उर्फ सूरजमल उम्र 60 वर्ष जाति मीना निवासी डिडायच तहत थान चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। ———अपीलांट

बनाम

1– तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा ।

– रेस्पोडेन्ट –

निर्णय दिनांक– 13.7.18

अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 19/05/2004 वाके ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत की है। नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 19/05/2004 द्वारा ग्राम डिडायच में अपीलान्ट की गैरखातेदारी भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया है , साथ ही नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 19/05/2004 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई रेस्पो0 सं0 के स्थान पर पेरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम डिडायच तें ख0नं0 110 रकबा 7 ऐयर भूमि पर अपना बाड़ा व बगीची बना रखी थी। जिसे सरकार द्वारा आवंटन कर गैर खातेदारी धोषित किया गया था। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28/04/2004 को गलत रिपोर्ट कर गलत नामान्तकरण भरकर तहसीलदार से तस्दीक करवाकर प्रार्थी अपीलान्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, साथ ही तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद आराजीयात ख0नं0 1110 रकबा 0.07 है0 पर वर्तमान में हमारे द्वारा काश्त की गई है कोई मकान नहीं बना हुआ है, साथ ही नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 19/05/2004 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी करने के कम में किसी भी नियम की पालना नहीं की गई है। ना हि अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख/दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त भूमि जब से गैरखातेदारी दर्ज है तब से आंदिनांक तक निरन्तर काश्त की गई हो तथा अपीलान्ट द्वारा केवल सम्वत् 2069–72 की खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी पेश की है, जिससे अपीलान्ट का केवल सम्वत् 2069–72 में उक्त वाद आराजीयात पर कब्जा काश्त करना साबित होता है तथा इसके पश्चात् तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने भी वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होना बताया है, लेकिन अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि गैर खातेदारी कब व किस प्रकार दर्ज हुई तथा तब से आंदिनांक तक उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त कर रहा है अथवा नहीं इस संबंध में कोई राजस्व अभिलेख/साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये हैं तथा उक्त नामान्तकरण आदेश दिनांक 19/05/2004 का है , अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2003 से 2012 तक का भी ऐसा कोई

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट होता हो कि तत्समय अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर कब्जा काश्त रहा हो, साथ ही पेरोकार सरकार ने नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 19/05/2004 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त नामान्तकरण आदेश दिनांक 19/05/2004 का है, जिसमें अपीलान्ट (आवंटी) द्वारा उक्त वाद आराजीयात आवंटन प्रयोजनार्थ प्रयोग में नहीं लेने के कारण एवं उक्त वाद आराजीयात पर आवासीय मकान होने के कारण गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण अस्वीकृत किया है। यहां वर्ष 2004 में पटवारी हल्का द्वारा वाद–आराजीयात पर मकान बना होना बताया है तथा तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा मौके पर उक्त वाद आराजीयात पर कृषि होना बताया है। दोनों ही रिपोर्ट से स्थिती स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि मौके पर मकान बना हुआ है या कृषि होती है यहां पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा केवल सम्वत् 2069–72 की खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी पेश की है, जिससे अपीलान्ट का केवल सम्वत् 2069–72 में उक्त वाद आराजीयात पर कब्जा काश्त करना साबित होता है, लेकिन अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2004 सम्वत् 2061 से 69 तथा इससे पूर्व का कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि अपीलान्ट द्वारा उक्त गैरखातेदारी भूमि पर निरन्तर रूप से कब्जा काश्त किया जा रहा हो। अतः मेरे अभिमत में अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 37 निर्णय दिनांक 19/05/2004 वाके ग्राम डिडायच निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.7.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर